"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 489] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2023 — भाद्रपद 31, शक 1945

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 सितम्बर 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–11/2022/38–2. – छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 775/पी.यू. 07/प्र.परिनियम/2015/18592, दिनांक 20–07–2023 द्वारा ओ.पी. जिन्दल विश्वविद्यालय, ओ.पी. जिन्दल नॉलेज पार्क, ग्राम–पुंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 30 एवं 31 अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है।

2/ राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

3/ उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव.

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक 30

बी.एस.सी. बी.एड., बी.कॉम. बी.एड., बी.ए.बी.एड.– 04 वर्षीय एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम

1. प्रयोज्यता–

1.1 विश्वविद्यालय चार वर्षीय एकीकृत उपाधि पाठ्यक्रम बी.एस.सी. बी.एड., बी.कॉम. बी.एड. एवं बी.ए.बी.एड. प्रस्तावित करेगा जिसका लक्ष्य सामान्य अध्ययन, जिसमें विज्ञान (भौतिकी, रसायन, गणित/बॉयोलॉजी), वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान या मानविकी तथा वृत्तिक अध्ययन, जिसमें शिक्षा का अधिकार, विद्यालयी विषयों का शिक्षणशास्त्र, तथा एक विद्यालय–शिक्षक के कार्यो एवं कार्यविधियों से जुड़ी प्रायोगिकी, का एकीकरण है। यह सिद्धांत और व्यवहार में संतुलन बनाए रखता है, तथा कार्यक्रम के घटकों के बीच सुसंगति एवं जुडाव को बनाए रखता है और एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के विस्तृत ज्ञान– आघान को प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों के लिए शिक्षकों को तैयार करना हैं। यह कार्यक्रम संयुक्त संस्थानों में एन.सी.टी.ई. के विनियम के अनुसार चलाया जायेगा।

1.2 बी.एस.सी. बी.एड., बी.कॉम. बी.एड.एवं बी.ए.बी.एड. पाठ्यक्रम शिक्षा संकाय द्वारा विज्ञान संकाय एवं प्रबंधन संकाय के सहयोग से प्रस्तावित होगा।

1.3 संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् उपाधि प्रदान की जाएगी।

1.4 उक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए गए ग्रेडों एवं क्रेडिटों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

2. प्रवेश हेतु पात्रता, प्रवेश विधि एवं चयन विधि–

2.1 इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी को हायर सेकेण्डारी (10+2) या राज्य/राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त प्रासंगिक पाठ्यक्रम

उत्तीर्ण होना चाहिये। एकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड छ.ग. राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. अथवा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित नियमानुसार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

2.2 उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रथम वर्ष के स्तर में शैक्षणिक परिषद द्वारा विहित अनुसार दिया जायेगा। प्रवेश नीति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई. एवं राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का भी अनुसरण किया जायेगा। राज्य की आरक्षण नीति लागू होगी।

2.3 शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व, विश्वविद्यालय प्रवेश की अधिसूचना समाचार पत्रों में/विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर/विश्वविद्यालय की सूचना पटल पर जारी करेगा। विष्वविद्यालय स्वयं का प्रवेश परीक्षा प्रवेश के लिए आयोजित कर सकता है। छात्र विष्वविद्यालय में सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं व प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई. एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का भी अनुसरण किया जायेगा।

2.4 अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.), भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी राष्ट्रीयता वाले की भी उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे परंतु वे (10+2)/हायर सेकण्डरी परीक्षा या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा और प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

2.5 विश्वविद्यालय, अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से स्थानांतरण पर उपरोक्त पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को अनुमति दे सकेगा। ऐसा प्रवेश, पाठ्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अधीन किसी भी स्तर में दी जा सकेगी। परंतु यह कि, इस योजना के अधीन प्रथम वर्ष के दौरान विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2.6 विश्वविद्यालय, असंतोषप्रद शैक्षणिक प्रदर्शन या दुर्व्यवहार के आधार पर उसके कैरियर के किसी प्रक्रम पर उसके अध्ययन को अनियमित कर सकेगा और किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार, आरक्षित रखेगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि–

3.1 पाठ्यक्रम की अवधि चार वर्ष की होगी जो आठ समान सेमेस्टर में विभाजित होगी जिसमें विद्यालय आधारित अनुभव तथा शिक्षण में प्रशिक्षुता भी शामिल रहेगी।

3.2 अधिष्ठाता, विज्ञान विद्यापीठ द्वारा कुलपति के अनुमोदन सहित प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल करना सम्मिलित है, की घोषणा करेगा।

3.3 उपरोक्त पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम समयावधि पांच वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में प्रत्याहरण, अनुपस्थिति और विद्यार्थी को दिये गये विभिन्न प्रकार के अवकाश अनुमति सम्मिलित होंगे परंतु अस्थायी रूप से निकाले जाने की अवधि यदि कोई हो, अपवर्जित होगी।

3.4 प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित समयावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।

4. पाठ्यक्रम की संरचना–

उपरोक्त पाठ्यक्रमों की संरचना, परीक्षा की योजना, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित नियम जो कि यू.जी.सी. एवं एन.सी.टी.ई. के दिशानिर्देश के अनुसार होगी।

5. पाठ्यक्रम का शुल्क–

उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण विष्वविद्यालय प्रबंध मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से किया जाएगा।

6. परीक्षा –

6.1 विश्वविद्यालय अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अभिनिर्धारण के लिए सेमेस्टर एवं सेमेस्टरांत (ईएसई) के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुये सतत् मूल्यांकन प्रणाली अंगीकृत करेगा।

6.2 पाठ्यचर्या के संपूर्ण घटक के लिये प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) के साथ–साथ सेमेस्टरांत (ईएसई) परीक्षा के लिये विस्तृत परीक्षा योजना शैक्षणिक परिषद द्वारा विहित किया जायेगा।

6.3 निम्नलिखित किन्ही कारणों से विद्यार्थियों को कुलपति के अनुमोदन से पीठ के अधिष्ठाता द्वारा सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकेगाः

(क) विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जा चुका हो।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर यदि–

(i) व्याख्यान में उपस्थिति 80% एवं प्रायोगिक कक्षाओं के साथ इंर्टनशिप में उपस्थिति 90% से कम हो अथवा खण्ड 8 के अनुसार सेमेस्टर में उपस्थित हो।

(ii) सेमेस्टर के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में प्रदर्शन असंतोषप्रद पाया गया हो।

6.4 विश्वविद्यालय नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने हेतु ऐसे अभ्यर्थी भी समर्थ होंगे जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में असफल रहे हो या चूक गये हो।

6.5 यदि अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षा को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर लेता हो तो उसे डिवीजन/अंकों/ग्रेडों या किसी अन्य प्रयोजन से परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति नही दिया जायेगा।

7 कार्य का मूल्यांकन (निर्धारण)–

प्रदर्शन का मूल्यांकन, प्रप्तांक के आधार पर तथा क्रेडिट के आधार पर किया जाएगा।

7.1 अंको का आधार

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में अभ्यर्थी प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुए सतत् मूल्यांकन प्रणाली के अनुपालन मे पाठ्यचर्या के घटकों सहित किया जायेगा। पाठ्यचर्या के समग्र/अंतिम परिणाम (ईएसई+पीआरई) में अधिकतम एवं न्यूनतम अंक विद्या परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुसार होगा।

(ख) विशिष्ट पाठ्यचर्या में अर्ह होने हेतु अभ्यर्थी को उसी पाठ्य चर्चा के समग्र परिणाम में पाठ्यक्रम के लिए अधिकृत संस्था के दिषा निर्देष के अनुसार न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

7.2 क्रेडिट का आधार

(क) व्याख्यान में (एल) में संपर्क का एक घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा वहां ट्यूटोरियल (टी) एवं/या प्रायोगिक (पी) में संपर्क का दो घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा। अंतः क्रेडिट = (एल+(टी+पी)/2) विषय में क्रेडिट संपूर्ण अंक होगा किन्तु अपूर्णांक अंक नहीं होगा। यदि विषय में क्रेडिट अपूर्णांक में परिवर्तित हो जाता है तो इसे निकटतम संपूर्ण अंक को पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) विद्यार्थी तब ही सेमेस्टर में आवंटित क्रेडिट अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर उत्तीर्ण करता हो।

(ग) विद्यार्थी पाठ्यक्रम की उपाधि प्राप्त करने के लिए तब ही पात्र होगा जब वह पाठ्यक्रम जिसमें वह प्रवेश लिया हो में आवंटित सभी क्रेडिट अर्जित करता हो।

8. उपस्थिति–

किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक आयोजित व्याख्यान में 80 प्रतिशत एवं प्रायोगिक के साथ इंर्टनशिप में 90 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। परंतु

यह कि 5 प्रतिशत तक एवं 5 प्रतिशत से कम की उपस्थिति संतोषप्रद कारण होने पर संबंधित पीठ के अधिष्ठाता एवं कुलपति द्वारा क्षमा किया जा सकता है। तथापि किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी जिसकी सेमेस्टर में व्याख्यान में 70 प्रतिशत एवं प्रायोगिक के साथ इंर्टनशिप में 80 प्रतिशत से कम की कुल उपस्थिति या प्रतिशत हो, जैसा कि शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाये, को सेमेस्टरान्त परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9. उच्च सेमेस्टर में पदोन्नति–

विद्यार्थी को 8वें सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व विद्यार्थी को 7 वें सेमेस्टर तक के समस्त सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

10. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति–

10.1 क्रेडिट के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम और उसके अधिभार पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक नीति समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार होंगे एवं वे शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम किसी सेमेस्टर के दौरान दिया जा सकेगा।

10.2 पाठ्यक्रम के लिये पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी लेटर ग्रेड दिया जायेगा। विद्यार्थी को दिया गया लेटर ग्रेड सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में उसके संयुक्त प्रदर्शन पर निर्भर होगा।

11. यह कि प्रस्तावित निजी विष्वविद्यालय यह सुनिष्चित करेगा कि उपरोक्त उपाधि हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम कम से कम सुसंगत विनियमों/यू.जी.सी./एन.सी.टी.ई. या संबंधित संवैधानिक निकायो, जैसी भी स्थिति हो, के मापदण्डों द्वारा नियत मानक के अनुरूप हो।

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक 31

बी.एड.-एम.एड. – 03 वर्षीय एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम

1. प्रयोज्यता–

1.1 विष्वविद्यालय तीन वर्षीय एकीकृत उपाधि पाठ्यक्रम बी.एड.-एम.एड. प्रस्तावित करेगा जिसका उद्देश्य शिक्षा में अध्यापक–षिक्षकों और अन्य व्यावसायिकों को तैयार करना है, जिनमें पाठ्यचर्चा विकासकर्ता, शिक्षा निति विश्लेषक, शैक्षिक आयोजक और प्रशासक, स्कूल प्रिंसिपल, पर्यवेक्षक और शिक्षा के क्षेत्र के अनुसंधानकर्ता भी शामिल हैं। कार्यक्रम के पूरा होने पर प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा VIII तक), अथवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक (VI से XII) में विशेषज्ञता के साथ एकीकृत बी.एड–एम.एड. डिग्री प्राप्त होगी। यह कार्यक्रम एन.सी.टी.ई. के विनियम के अनुसार चलाया जायेगा।

1.2 बी.एड.-एम.एड. पाठ्यक्रम शिक्षा संकाय द्वारा प्रस्तावित होगा।

1.3 संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करने के पष्चात् उपाधि प्रदान की जाएगी।

1.4 उक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए गए ग्रेडों एवं क्रेडिटों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

2. प्रवेश हेतु पात्रता, प्रवेश विधि एवं चयन विधि–

2.1 इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विज्ञानों/समाज विज्ञानों/मानविकी विषयों में कम से कम 55 % अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिये। यह वांछनीय है कि उम्मीदवारों की षिक्षा में स्पष्ट दिखने वाली रूचि और अनुभव हो। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड छ.ग. राज्य सरकार, यू.जी.सी. और एन.सी.टी.ई. अथवा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित नियमानुसार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

2.2 उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रथम वर्ष के स्तर में शैक्षणिक परिषद द्वारा विहित अनुसार दिया जायेगा। प्रवेश नीति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई. एवं राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का भी अनुसरण किया जायेगा। राज्य की आरक्षण नीति लागू होगी।

2.3 शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व, विश्वविद्यालय प्रवेश की अधिसूचना समाचार पत्रों में/विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर/विश्वविद्यालय की सूचना पटल पर जारी करेगा। विश्वविद्यालय स्वयं का प्रवेश परीक्षा प्रवेश के लिए आयोजित कर सकता है। छात्र विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं व प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई. एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का भी अनुसरण किया जायेगा।

2.4 अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.), भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी राष्ट्रीयता वाले की भी उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे परंतु वे नातकोत्तर परीक्षा एन.सी.टी.ई. के नियमों के अनुसार उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा और प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

2.5 विश्वविद्यालय, अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से स्थानांतरण पर उपरोक्त पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को अनुमति दे सकेगा। ऐसा प्रवेश, पाठ्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अधीन किसी भी स्तर में दी जा सकेगी। परंतु यह कि, इस योजना के अधीन प्रथम वर्ष के दौरान विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

2.6 विश्वविद्यालय, असंतोषप्रद शैक्षणिक प्रदर्शन या दुर्व्यवहार के आधार पर उसके कैरियर के किसी प्रक्रम पर उसके अध्ययन को अनियमित कर सकेगा और किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार, आरक्षित रखेगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि–

3.1 पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी जो छः समान सेमेस्टर में विभाजित होगी जिसमें विद्यालय आधारित अनुभव तथा शिक्षण में प्रशिक्षुता भी शामिल रहेगी।

3.2 अधिष्ठाता, विज्ञान विद्यापीठ द्वारा कुलपति के अनुमोदन सहित प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेण्डर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल करना सम्मिलित है, की घोषणा करेगा।

3.3 उपरोक्त पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम समयावधि चार वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में प्रत्याहरण, अनुपस्थिति और विद्यार्थी को दिये गये विभिन्न प्रकार के अवकाश अनुमति सम्मिलित होंगे परंतु अस्थायी रूप से निकाले जाने की अवधि यदि कोई हो, अपवर्जित होगी।

3.4 प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षणिक कैलेण्डर में विहित समयावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।

4. पाठ्यक्रम की संरचना–

उपरोक्त पाठ्यक्रमों की संरचना, परीक्षा की योजना, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित नियम जो कि यू.जी.सी. एवं एन.सी.टी.ई. के दिशानिर्देश के अनुसार होगी।

5. पाठ्यक्रम का शुल्क–

उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विष्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से किया जाएगा।

6. परीक्षा –

6.1 विश्वविद्यालय अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अभिनिर्धारण के लिए सेमेस्टर एवं सेमेस्टरांत (ईएसई) के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुये सतत् मूल्यांकन प्रणाली अंगीकृत करेगा।

6.2 पाठ्यचर्या के संपूर्ण घटक के लिये प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) के साथ–साथ सेमेस्टरांत (ईएसई) परीक्षा के लिये विस्तृत परीक्षा योजना शैक्षणिक परिषद द्वारा विहित किया जायेगा।

6.3 निम्नलिखित किन्ही कारणों से विद्यार्थियों को कुलपति के अनुमोदन से पीठ के अधिष्ठाता द्वारा सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकेगाः

(क) विद्यार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जा चुका हो।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर यदि–

(i) व्याख्यान में उपस्थिति 80% एवं प्रायोगिक कक्षाओं के साथ इंर्टनशिप में उपस्थिति 90% से कम हो अथवा खण्ड 8 के अनुसार सेमेस्टर में उपस्थित हो।

(ii) सेमेस्टर के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में प्रदर्शन असंतोषप्रद पाया गया हो।

6.4 विश्वविद्यालय नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने हेतु ऐसे अभ्यर्थी भी समर्थ होंगे जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में असफल रहे हो या चूक गये हो।

6.5 यदि अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षा को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर लेता हो तो उसे डिवीजन/अंकों/ग्रेडों या किसी अन्य प्रयोजन से परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति नही दिया जायेगा।

7 कार्य का मूल्यांकन (निर्धारण)–

प्रदर्शन का मूल्यांकन, प्रप्तांक के आधार पर तथा क्रेडिट के आधार पर किया जाएगा।

7.1 अंको का आधार

(क) प्रत्येक सेमेस्टर में अभ्यर्थी प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुए सतत् मूल्यांकन प्रणाली के अनुपालन मे पाठ्यचर्या के घटकों सहित किया जायेगा। पाठ्यचर्या के समग्र/अंतिम परिणाम

(ईएसई+पीआरई) में अधिकतम एवं न्यूनतम अंक विद्या परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुसार होगा।

(ख) विशिष्ट पाठ्यचर्या में अर्ह होने हेतु अभ्यर्थी को उसी पाठ्य चर्चा के समग्र परिणाम में पाठ्यक्रम के लिए अधिकृत संस्था के दिशा निर्देश के अनुसार न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

7.2 क्रेडिट का आधार

(क) व्याख्यान में (एल) में संपर्क का एक घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा वहां ट्यूटोरियल (टी) एवं/या प्रायोगिक (पी) में संपर्क का दो घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा। अंतः क्रेडिट = (एल+(टी+पी)/2) विषय में क्रेडिट संपूर्ण अंक होगा किन्तु अपूर्णांक अंक नहीं होगा। यदि विषय में क्रेडिट अपूर्णांक में परिवर्तित हो जाता है तो इसे निकटतम संपूर्ण अंक को पूर्णांकित किया जायेगा।

(ख) विद्यार्थी तब ही सेमेस्टर में आवंटित क्रेडिट अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर उत्तीर्ण करता हो।

(ग) विद्यार्थी पाठ्यक्रम की उपाधि प्राप्त करने के लिए तब ही पात्र होगा जब वह पाठ्यक्रम जिसमें वह प्रवेश लिया हो में आवंटित सभी क्रेडिट अर्जित करता हो।

8. उपस्थिति–

किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक आयोजित व्याख्यान में 80 प्रतिशत एवं प्रायोगिक के साथ इंर्टनशिप में 90 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। परंतु यह कि 5 प्रतिशत तक एवं 5 प्रतिशत से कम की उपस्थिति संतोषप्रद कारण होने पर संबंधित पीठ के अधिष्ठाता एवं कुलपति द्वारा क्षमा किया जा सकता है। तथापि किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी जिसकी सेमेस्टर में व्याख्यान में 70 प्रतिशत एवं प्रायोगिक के साथ इंर्टनशिप में 80 प्रतिशत से कम की कुल उपस्थिति या प्रतिशत हो, जैसा कि

शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाये, को सेमेस्टरान्त परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

9. उच्च सेमेस्टर में पदोन्नति–

विद्यार्थी पूर्ववर्ती सेमेस्टर के सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषय के बैकलॉग के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, परंतु उसे अध्यादेश के खण्ड (3) में वर्णित निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

10. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति–

10.1 क्रेडिट के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम और उसके अधिभार पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक नीति समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार होंगे एवं वे शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम किसी सेमेस्टर के दौरान दिया जा सकेगा।

10.2 पाठ्यक्रम के लिये पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी लेटर ग्रेड दिया जायेगा। विद्यार्थी को दिया गया लेटर ग्रेड सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में उसके संयुक्त प्रदर्शन पर निर्भर होगा।

11. यह कि प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय यह सुनिष्चित करेगा कि उपरोक्त उपाधि हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम कम से कम सुसंगत विनियमों/यू.जी.सी./एन.सी.टी.ई. या संबंधित संवैधानिक निकायो, जैसी भी स्थिति हो, के मापदण्डों द्वारा नियत मानक के अनुरूप हो।

अटल नगर, दिनांक 13 सितम्बर 2023

क्रमांक एफ 3–11/2022/38–2. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13–09–2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 13th September 2023

NOTIFICATION

No. F 3-11/2022/38-2. – Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 775/P.U. 07/प्र.परिनियम/2015/18592, Dated 20-07-2023 has approved the New Ordinance No. 30 and 31 of O.P. Jindal University, O.P. Jindal Knowledge Park, Village-Punjipathara, Tehsil-Gharghoda, District-Raigarh (Chhattisgarh), Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2/ The State Government, hereby, gives its approval for notification of these Ordinance in Official Gazette.

3/ The above Ordinance shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HINA ANIMESH NETAM, Joint Secretary.

OP JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C. G.)

ORDINANCE NO. 30

BACHELOR OF SCIENCE AND BACHELOR OF EDUCATION [B.Sc. B.Ed.], BACHELOR OF COMMERCE AND BACHELOR OF EDUCATION [B. Com. B. Ed.], BACHELOR OF ARTS AND BACHELOR OF EDUCATION [B. A. B. Ed.] - FOUR YEAR INTEGRATED DEGREE COURSE

1. APPLICABILITY

1.1 The university shall offer the four years' integrated undergraduate degree courses Bachelor of Science Bachelor of Education [B.Sc. B.Ed.], Bachelor of Commerce Bachelor of Education [B.Com. B.Ed.] and Bachelor of Arts Bachelor of Education [B.A. B.Ed.] aim at integrating general studies comprising pure sciences like Physics, Chemistry, Mathematics/Biology, Commerce, social sciences including Humanities and professional studies comprising foundations of education, pedagogy of school subjects and practicum related to the tasks and functions of a school teacher. It maintains a balance between theory and practice and coherence and integration among the components of the programme, representing a wide knowledge base of a secondary teacher. The programme aims at preparing teachers for the upper primary and secondary stages of education. The programme shall be offered in composite institutes as defined by the NCTE in its regulations.

1.2 Bachelor of Science Bachelor of Education [B.Sc. B.Ed.], Bachelor of Commerce Bachelor of Education [B.Com. B.Ed.] and Bachelor of Arts Bachelor of Education [B.A. B.Ed.] will be offered by the Faculty of Education in collaboration with Faculty of Science and Faculty of Management.

1.3 The degree shall be awarded after successful completion in the aforesaid specific subjects of the department.

1.4 The evaluation shall be on the basis of grades and credits earned by the student in each subject of these courses.

2. ADMISSION PROCEDURE & METHOD OF SELECTION

2.1 Every candidate seeking admission to these courses must have passed Higher Secondary (10+2) or a relevant course recognized by State/National/International Board/University with prescribed subjects. The eligibility criterion for admission in the individual course will be decided by the Academic Council of the university as per the norms laid down by the government of Chhattisgarh and NCTE or any appropriate Authority.

2.2 Admission to the course shall be offered as prescribed by the academic council, at the first year level. The Admission policy shall be decided by the Academic Council of the

university. The guidelines issued by the UGC, NCTE and the State Government or any appropriate Authority shall be adhered to. The State reservation policy shall be applicable.

2.3 The university will issue admission notifications in newspapers/on the university's website/notice board of the university etc., before the start of the academic year. The university may conduct its own entrance examination for admission. The students may also secure direct admission to the university and the admission will be given on the basis of merit. The guideline issued by NCTE/State Govt./UGC shall be adhered too.

2.4 Non-Resident Indians (NRI), Persons of Indian Origin (PIO) and Foreign National shall also be eligible for admission to the course, provided they have passed (10 + 2) / Higher Secondary Examination or any other equivalent examination. Admission to such candidates shall be made on the basis of the entrance test conducted by the OP Jindal University and the admission will be given on the basis of merit.

2.5 The university may permit a student to the course on transfer from other Institutes/Universities. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of academic requirements of the university in respect of the program, provided that, no student shall be admitted during the first year, under this scheme.

2.6 The university reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/her studies at any stage of his/her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct.

3. DURATION OF THE COURSE

3.1 The duration of the course shall be four years and divided into eight equal semesters including school-based experience and internship in teaching.

3.2 The academic calendar including semester breaks shall be declared by the Dean of the School at the beginning of each year with the approval of the Vice Chancellor.

3.3 The maximum duration available to a student for completion of the course shall be of five years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student, but it shall exclude the period of rustication, if any.

3.4 At the beginning of each semester, every student shall have to register him/herself within the duration prescribed in the academic calendar.

4. STRUCTURE OF THE COURSE

The structure of the course, scheme of examination, curriculum and syllabi shall be such as may be prescribed by the Academic Council in accordance with the UGC and NCTE guidelines in this regard.

5. FEE FOR THE COURSE

The fee for the course shall be such as may be decided by the Board of Management of the university with the approval of the Chhattisgarh Private University Regulatory Commission(CGPURC).

6. EXAMINATIONS

6.1 The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of a Progress Review Examination (PRE) during the semester and End Semester Examination (ESE) for assessing the students' performance during the programme of study.

6.2 The detailed examination scheme for PRE as well as ESE for all components of the curriculum shall be laid down by the Academic Council.

6.3 A student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of the school with the approval of the Vice Chancellor, due to any of the following reasons:

(a) Disciplinary action has been taken against the student.

(b) On the recommendation of the concerned head of the department, if

(i) The attendance in Theory is below 80% and in Practical classes is below 90% or as provided in clause (8) of attendance, in the semester.

(ii) The performance in the PRE during the semester has been found unsatisfactory.

6.4 The university shall conduct a full examination at the end of each semester for the regular students. This examination will also enable those students to appear in theory / practical courses who may have failed or missed the previous semesters' examination.

6.5 If a candidate has passed a semester examination in full he/she shall **NOT** be permitted to reappear in that examination for improvement in division/marks/grades or for any other purpose.

7. EVALUATION / ASSESSMENT OF PERFORMANCE

The evaluation/assessment of the performance shall be done on the basis of marks as well as on the basis of credits:

7.1 BASIS OF MARKS

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated with the component of the curriculum following the system of continuous evaluation consisting of PRE and ESE. The maximum and minimum marks in the final result (PRE+ ESE) of each subject of the course shall be as per the examination scheme declared by the Academic Council.

(b) To pass (qualify) a particular subject of the respective course, a candidate has to score minimum marks in the composite result of that subject as per the guidelines of the concerned authority of the program.

7.2 **BASIS OF CREDITS**

(a) One hour of contact lecture (L) shall be equal to one credit whereas two hours of contact tutorial (T) and/or practical (P) shall be equal to one credit. Thus, Credit = {L + (T+P)/2}. Credit in a subject shall be a whole number, not a fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction, then it shall be rounded up to the nearest whole number.

(b) A candidate shall earn the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

(c) A candidate shall be eligible for the award of the degree, only when he/she earns all the credits allotted to the course in which he/she has taken admission.

8. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 80% of Theory and 90% of Practical with Internship classes held separately in each subject of the course of study, provided that a shortfall in attendance up to 5% and a further 5% can be condoned by the Dean of the School and Vice-Chancellor of the university respectively for satisfactory reasons. However, under no condition, a candidate who has an aggregate attendance of less than 70% in Theory and 80% in Practical with Internship or the percentage as may be decided by the Academic Council in a semester shall be allowed to appear in the End Semester Examination.

9. PROMOTION TO HIGHER SEMESTERS

A student has to clear all the Theory/ Practical subjects up to 7^{th} Semester before enrolling in 8^{th} Semester.

10. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

10.1 Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended by the concerned Curriculum and Academic Policy Committee and shall be approved by the Academic Council and the Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

10.2 Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter grade awarded to a student shall depend upon his combined performance in the PRE and ESE.

11. Notwithstanding the above, the university shall ensure that the study program leading to an integrated degree shall confirm to the standard set by the regulations/norms of the NCTE/UGC/concerned statutory body.

OP JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C. G.)

ORDINANCE NO. 31

BACHELOR OF EDUCATION AND MASTER OF EDUCATION [B.Ed.-M. Ed.] - THREE YEAR INTEGRATED DEGREE COURSE

1. APPLICABILITY

1.1 The university shall offer the three years' integrated degree courses Bachelor of Education Master of Education [B.Ed.-M.Ed.] aims at preparing teacher educators and other professionals in education, including curriculum developers, educational policy analysts, educational planners and administrators, school principals, supervisors and researchers in the field of education. The completion of the programme shall lead to an integrated B.Ed.-M. Ed. Degree with specialization in either elementary education (up to class VIII), or secondary and senior secondary education (VI to XII). The programme shall be as per the NCTE regulations.

1.2 Bachelor of Education Master of Education [B.Ed. M.Ed.] will be offered by the Faculty of Education.

1.3 The degree shall be awarded after successful completion in the aforesaid specific subjects of the department.

1.4 The evaluation shall be on the basis of grades and credits earned by the student in each subject of these courses.

2. ADMISSION PROCEDURE & METHOD OF SELECTION

2.1 Every candidate seeking admission to these courses must have passed Post graduate degree in sciences/social sciences/humanities with 55% marks or equivalent grade from a recognized institution. It is desirable that a candidates have a demonstrated interest and experience in education. The eligibility criterion for admission in the individual course will be decided by the Academic Council of the university as per the norms laid down by the government of Chhattisgarh and NCTE or any appropriate Authority.

2.2 Admission to the course shall be offered as prescribed by the academic council, at the first year level. The Admission policy shall be decided by the Academic Council of the university. The guidelines issued by the UGC, NCTE and the State Government or any appropriate Authority shall be adhered to. The State reservation policy shall be applicable.

2.3 The university will issue admission notifications in newspapers/on the university's website/notice board of the university etc., before the start of the academic year. The university may conduct its own entrance examination for admission. The students may also

secure direct admission to the university and the admission will be given on the basis of merit. The guideline issued by NCTE/State Govt./UGC shall be adhered too.

2.4 Non-Resident Indians (NRI), Persons of Indian Origin (PIO) and Foreign National shall also be eligible for admission to the course, provided they have passed Post graduate examination as per the NCTE regulation. Admission to such candidates shall be made on the basis of the entrance test conducted by the OP Jindal University and the admission will be given on the basis of merit.

2.5 The university may permit a student to the course on transfer from other Institutes/Universities. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of academic requirements of the university in respect of the program, provided that, no student shall be admitted during the first year, under this scheme.

2.6 The university reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/her studies at any stage of his/her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct.

3. DURATION OF THE COURSE

3.1 The duration of the course shall be three years and divided into six equal semesters including school-based experience and internship in teaching.

3.2 The academic calendar including semester breaks shall be declared by the Dean of the School at the beginning of each year with the approval of the Vice Chancellor.

3.3 The maximum duration available to a student for completion of the course shall be of four years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student, but it shall exclude the period of rustication, if any.

3.4 At the beginning of each semester, every student shall have to register him/herself within the duration prescribed in the academic calendar.

4. STRUCTURE OF THE COURSE

The structure of the course, scheme of examination, curriculum and syllabi shall be such as may be prescribed by the Academic Council in accordance with the UGC and NCTE guidelines/regulations in this regard.

5. FEE FOR THE COURSE

The fee for the course shall be such as may be decided by the Board of Management of the university with the approval of the Chhattisgarh Private University Regulatory Commission(CGPURC).

6. EXAMINATIONS

6.1 The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of a Progress Review Examination (PRE) during the semester and End Semester Examination (ESE) for assessing the students' performance during the programme of study.

6.2 The detailed examination scheme for PRE as well as ESE for all components of the curriculum shall be laid down by the Academic Council.

6.3 A student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of the school with the approval of the Vice Chancellor, due to any of the following reasons:

(a) Disciplinary action has been taken against the student.

(b) On the recommendation of the concerned head of the department, if

(i) The attendance in Theory is below 80% and in Practical classes is below 90% or as provided in clause (8) of attendance, in the semester.

(ii) The performance in the PRE during the semester has been found unsatisfactory.

6.4 The university shall conduct a full examination at the end of each semester for the regular students. This examination will also enable those students to appear in theory / practical courses who may have failed or missed the previous semesters' examination.

6.5 If a candidate has passed a semester examination in full he/she shall **NOT** be permitted to reappear in that examination for improvement in division/marks/grades or for any other purpose.

7. EVALUATION / ASSESSMENT OF PERFORMANCE

The evaluation/assessment of the performance shall be done on the basis of marks as well as on the basis of credits:

7.1 BASIS OF MARKS

(a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated with the component of the curriculum following the system of continuous evaluation consisting of PRE and ESE. The maximum and minimum marks in the final result (PRE+ ESE) of each subject of the course shall be as per the examination scheme declared by the Academic Council.

(b) To pass (qualify) a particular subject of the respective course, a candidate has to score minimum marks in the composite result of that subject as per the guidelines of the concerned authority of the program.

7.2 BASIS OF CREDITS

(a) One hour of contact lecture (L) shall be equal to one credit whereas two hours of contact tutorial (T) and/or practical (P) shall be equal to one credit. Thus, Credit = {L + (T+P)/2}.

Credit in a subject shall be a whole number, not a fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction, then it shall be rounded up to the nearest whole number.

(b) A candidate shall earn the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.

(c) A candidate shall be eligible for the award of the degree of B.Sc.(Hons), only when he/she earns all the credits allotted to the course in which he/she has taken admission.

8. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 80% of Theory and 90% of Practical and Internship classes held separately in each subject of the course of study, provided that a shortfall in attendance up to 5% and a further 5% can be condoned by the Dean of the School and Vice-Chancellor of the university respectively for satisfactory reasons. However, under no condition, a candidate who has an aggregate attendance of less than 70% in Theory and 80% in Practical and Internship or the percentage as may be decided by the Academic Council in a semester shall be allowed to appear in the End Semester Examination.

9. PROMOTION TO HIGHER SEMESTERS

A student shall be allowed to carry the backlog/s of theory/practical subjects of the preceding semester but he/she should complete the course within the stipulated duration as mentioned in clause (3) of this ordinance.

10. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

10.1 Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended by the concerned Curriculum and Academic Policy Committee and shall be approved by the Academic Council and the Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.

10.2 Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter grade awarded to a student shall depend upon his combined performance in the PRE and ESE.

11. Notwithstanding the above, the university shall ensure that the study program leading to an integrated degree shall conform to the standard set by the regulations/norms of the NCTE/UGC/concerned statutory body

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.